राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

No. F–7(20)/वित्त/SPFC/Appeal/2025 Jaipur, Dated: 3/9/2025

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड
पंत कृषि भवन जयपुर

विषयः— द्वितीय अपील निर्णय बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा जारी निविदा क्रमांक 25019 दिनांक 17.02.2025 में प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध M/s Sonartari Multi-State Agro Cooperative Society Ltd. द्वारा द्वितीय अपील वित्त विभाग में प्रस्तुत की थी। उक्त द्वितीय अपील के निर्णय दिनांक 01.09.2025 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है। उक्त निर्णय को एसपीपीपी पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः— निर्णय की प्रति।

सुनील पंवार 02/09/25
मुख्य लेखाधिकारी
वित्त (एसपीएफसी) विभाग

Sr. M. finance
GM. For compliance 3/9/25
urgent Programmer 03/9/25

राजस्थान सरकार
वित्त (बजट) विभाग

दिनांक: 01-09-2025

मैसर्स सोनातर्री मल्टी-स्टेट एग्रो कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (सोनाको), जयपुर

बनाम

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम के सुलतानपुर (कोटा), बारां रीको, गुडामालानी (बाड़मेर) तथा कोटा विधायन केन्द्रों एवं बीज विस्तार केन्द्रों का समुचित उपयोग करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) द्वारा सर्विस आधारित सेवा प्रदाता के चयन हेतु क्रमांक 25019 दिनांक 17.02.2025 द्वारा निविदा जारी की गयी थी। उक्त निविदा में अपीलार्थी फर्म मैसर्स सोनातर्री मल्टी-स्टेट एग्रो कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (सोनाको), जयपुर द्वारा भाग लिया गया था।

उक्त निविदा के तकनीकी निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन करने पर अपीलार्थी फर्म द्वारा असत्य सूचना प्रेषित करने के कारण राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर के आदेश दिनांक 15.05.2025 के द्वारा एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debarred) किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गयी, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2025 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 15.07.2025 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा वित्त विभाग में द्वितीय अपील दिनांक 01.08.2025 को प्रस्तुत की है।

द्वितीय अपील की सुनवाई दिनांक 28.08.2025 को की गयी। सुनवायी के दौरान अपीलार्थी की ओर से राज्य प्रबंधक, श्री रणजीत सिंह धायल तथा अधिवक्ता देवयानी राठौड़ उपस्थित हुए। उपापन संस्था की ओर से डॉ.श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, जनरल मैनेजर तथा श्री हरिमोहन शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) उपस्थित हुए।

अपीलार्थी ने अपनी द्वितीय अपील में निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये है:-

अपीलार्थी के अधिवक्ता देवयानी राठौड़ ने बताया कि निगम द्वारा आमंत्रित की गयी निविदा में फर्म की राजस्थान शाखा द्वारा भाग लिया गया है, जो किसी भी विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर कालीसूचीबद्ध (Black Listed) नहीं

Scanned with CamScanner

है और न ही किसी मुकदमे में लिप्त है। SONACO, Buxar शाखा को कालीसूचीबद्ध किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 08.05.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

The terms and conditions of EOI dated 17.02.2025 at serial no. 8 is of Technical Bid/Pre-Qualification of bidder for selection – point no.9 in which affidavit regarding not black listed/ debarred was required. The bidder should produce an affidavit on Rs. 500/- non-Judicial stamp paper stating that he/she has not been black listed/debarred by any institution related to seed business. The offer of black listed/debarred bidders will not be accepted. It is therefore submitted that NCCF registered M/S SONOCO for various type of work i.e. Procurement of different commodities like Food Items (Wheat Procurement:). However the present EOI was issued for the production of seed which is totally different work from that of procurement of commodities.

प्रत्यर्थी (उपापन संस्था) द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रतिउत्तर दिया गया:—

विभाग द्वारा जारी निविदा परिपत्र के तकनीकी दस्तावेजों के साथ बिन्दु संख्या 8(9) में निम्न प्रमाण पत्र चाहा गया है:—

"The bidder should produce an affidavit on Rs. 500/- non-Judicial stamp paper stating that he/she has not been black listed/debarred by any institution related to seed business. The offer of black listed/debarred bidders will not be accepted."

तकनीकी निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन करने पर दिनांक 03.03.2025 को निविदादाता M/S Mukundra Seeds and Research Pvt. Ltd. के द्वारा निगम के संज्ञान में लाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहाकारी संघ मर्यादित, (NCCF) नई दिल्ली कार्यालय द्वारा पत्रांक 9018 दिनांक 21.08.2024 द्वारा SONACO, Buxar, को कालीसूचीबद्ध किया हुआ है। इसके बाद निगम द्वारा NCCF, नई दिल्ली को दिनांक 19.03.2025 को पुष्टि बाबत पत्र प्रेषित किये गये। NCCF, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.03.2025 को ईमेल के माध्यम से इस निगम को अवगत करवाया गया हैं कि M/S Sonartari Multi-State Agro Cooperative Society Ltd. (SONACO) को NCCF द्वारा काली सूचीबद्ध किया गया हैं।

अपीलार्थी फर्म M/S Sonartari Multi-State Agro Cooperative Society Ltd. (SONACO) जयपुर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.03.2025 तथा दिनांक 19.03.2025 को सूचित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में दिनांक 08.03.2025 एवं 21.03.2025 प्रस्तुत किये गये अपने लिखित जवाब में फर्म ने यह स्पष्ट किया कि SONACO, Buxar, को काली सूचीबद्ध किये जाने का प्रकरण सिविल रिट संख्या 14271 ऑफ 2024 माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है।

Scanned with CamScanner

फर्म द्वारा बिड दस्तावेजों के साथ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि निगम द्वारा आमंत्रित की गई निविदा में M/S Sonartari Multi-State Agro Cooperatvie Society Ltd. (SONACO) की राजस्थान शाखा द्वारा भाग लिया गया है। जो किसी भी विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर काली सूचीबद्ध नहीं है और न ही किसी मुकदमें में लिप्त है। फर्म के इस कथन के संदर्भ में यह कि फर्म द्वारा निविदा के समय भारत सरकार के Office of Central Registrar of Cooperative Societies New Delhi द्वारा जारी Certificate of Registration प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्पष्ट अंकन है कि फर्म का रजिस्टर्ड कार्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है एवं बिहार, दिल्ली, वेस्ट बैंगलोर, उडीसा तथा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, जम्मु तथा कश्मीर, आसाम, एवं झारखंड राज्य इस सोसायटी के कार्य क्षेत्र है।

अतः इस प्रकार निगम द्वारा फर्म को निविदा में तथ्य छुपाने, गलत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 एवं 46 के तहत निविदा से अयोग्य घोषित कर जमा बिड सिक्योरिटी जब्त करते हुए आगामी एक वर्ष के लिए विवर्जित (debarred) किया गया है।

निर्णय

अपीलकर्ता के अधिवक्ता देवयानी राठौड़ द्वारा बताया गया है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपनी अपील सुनवाई के दौरान इस तथ्य को ध्यान में नहीं लिया गया है कि NCCF द्वारा इनकी संस्था को विवर्जित करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा खारिज किया जा चुका है और NCCF को नए सिरे से सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है। चूकिं यह निर्णय 08.05.2025 को हो गया था तो ऐसे में 15.05.2025 को प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हमें बिड़ में भाग लेने से विवर्जित किए जाने का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। बाद में प्रथम अपील दिनांक 15.07.2025 के दौरान भी इस बात को पुनः संज्ञानित नहीं किया गया। अतः द्वितीय अपील में हम यह तथ्य भी सामने रखना चाहते हैं कि NCCF ने हमें अलग कारण से डी–बार किया था और राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी निविदा में डी–बार के कारणों में उस कारण का उल्लेख नहीं है।

कार्पोरेशन के अधिकारी श्री हरि मोहन शर्मा को सुना गया। उन्होंने बताया कि फर्म द्वारा अपने तथ्यों को पहले प्रबंध निदेशक तथा फिर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं रखा गया है, हम लोग डी–बार के कारणों पर चर्चा करने की बजाय यह आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं

Scanned with CamScanner

कि फर्म द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी कारण से कहीं भी डी–बार नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि काली सूचीबद्ध होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर उनके द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और इसी के आधार पर हमें प्रथम अपील में सफलता प्राप्त हुई है।

यहां द्वितीय अपील अधिकारी के रूप में हमारा मानना है कि उक्त बिड किन्हीं कारणों से खारिज हो चुकी है तथा इसमें कोई भी कार्यादेश नहीं दिया गया है इसलिए इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की रिलीफ दी जाने की संभावना नहीं है। आगामी भविष्य में यदि उक्त संस्था द्वारा राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत किसी निविदा में भाग लिया जाता है तो वह बिड दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन करें तथा मिथ्या शपथ पत्र देने से बचें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2025 में उन्हें NCCF को पुनः सुनवाई करने के लिए कहा गया है तथा उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रकरण समयबद्ध रूप से निस्तारित करवा लें। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश प्रदान किए गए हैं।

संबधित सूचित होवें ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव वित्त (बजट)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी

Scanned with CamScanner